फार्म नम्बर 111

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

गोपालसिंह वगैरा बनाम भवंरसिंह

किस्म मुकदमा विविधि प्रार्थना / वाद पत्र नम्बर 23 ए/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
/12/2019	वकील वादी द्वारा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि बन्टवारा प्रस्ताव आ चुके है इसलिए पत्रावली तलब की जावे जिस पर पत्रावली आज पेशी मे तलब की गई । पत्रावली पेश हुई । वकुलाय पक्षकार उपस्थित । बन्टवारा प्रस्ताव तहसीलदार औसिया से प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं को बन्टवारा प्रस्ताव पर सुना गया । दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ द्वारा बन्टवारा प्रस्ताव के अनुसार व नजरी नक्शे के अनुसार बन्टवारा स्वीकार करने मे सहमती जाहिर की इसलिए दोनो पक्षो की सहमती से बन्टवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है । बन्टवारा प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक खातेदार के 1/5 हिस्से के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावे, बन्टवाडा प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग समझा जावे । अन्तिम डिकी जारी की जावे । तहसीलदार औसिया को निर्णय व डिकी की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर, औसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिकी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

... अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।

... इजलास –रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1 गोपालसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह 2 गिरधारीसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह 3 उम्मेदसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी पल्ली तहसील औसिया जिला जोधपुर ।	1 भवंरसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह 2 डुंगरसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह जति राजपूत निवासी पल्ली तहसील औसिया जिला जोधपुर 3 श्री तहसीलदार औसिया ।

मुकदमा नम्बर 230/2017

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह राठौड उपस्थित। कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 1523/7 रकबा 1 बीघा भूमि मे भाई बन्ट के अनुसार प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/5 हिसा घोषित किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी की जावे सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर लिखा जावे कि राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना की जाकर शीघ्र बन्टवारा प्रस्ताव पेश करे । प्राथमिक डिकी जारी की जाती है । खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह .... फिसदी सालानाआज मुवलिग.................................. बाबत .... को अदा करे । की तारीख वसूलयागी तक ....

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 6.8.19 को जारी की गई ।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्धफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो ... करना चाहिये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसिया

Scanned by CamScanner